UTTAR PRADESH POLICE

"सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा"

प्रेस नोट–11.06.2021

सर्विलान्स व थाना एका पुलिस की संयुक्त कार्यवाही।

विरोधियों को फसाने के उद्देश्य से अपहरण के नाटक का पर्दाफाश, जिसके अपहरण का था अभियोग वही निकला मुख्य साजिशकर्ता, किया गया गिरफ्तार।

- **जमीनीं रजिश में विरोधियों को फंसाने के उद्देश्य से खुद के अपहरण का रचा था नाटक।**
- **सबूत बनाने के लिये कबूतर को मारकर अपने सोने के स्थान पर डाला था खून।**
- **अपनी पत्नी के द्वारा अपने अपहरण का विरोधियों के विरूद्ध पंजीकृत कराया था झूठा अभियोग।**
- **अभियोग पंजीकृत कराकर अपने भाई व रिश्तेदारों के यहॉ रह रहा था छुपकर।**

दिनांक 12.01.2021 को श्रीमती चन्द्रवती पत्नी भूपसिंह, नि0–मोहनपुर, थाना–एका द्वारा 05 व्यक्तियों के विरूद्ध थाना एका पर अपने पति के अपहरण का अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा निरीक्षण के दौरान उपरोक्त अपहरण की घटना पर तत्काल सज्ञांन लेते हुये अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी जसराना के निर्देशन में थाना प्रभारी एका को सर्विलान्स टीम की मदद लेते हुये घटना के शीघ्र से शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त के क्रम में दिनांक 10.06.2021 को पुलिस टीम को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जिस व्यक्ति के अपहरण का अभियोग पंजीकृत कराया गया है वही भूपसिंह छुपने के उद्देश्य से ग्राम नगला सैय्या, थाना–पिलुआ, जनपद–एटा में स्वंय का प्लॉट खरीकर मकान बना रहा है, उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल कार्यवाही करते हुये मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पंहुचे तो ग्राम नगला सैय्या नहर की पटरी पर चलकर देखा कि निर्माणधीन मकान पर कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं जैसे ही पुलिस टीम मकान के पास पंहुची तो कार्य कर रहे व्यक्तियों में से 01 व्यक्ति मकान की दीवार से कूद कर खेतों की तरफ भागने लगा तभी पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये दौड़कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया, पकड़े गये व्यक्ति से भागने का कारण पूछा तो बताया कि मेरा नाम भूप सिंह है तथा मेरे द्वारा अपने विरोधियों को फसाने के उद्देश्य से अपने अपहरण का झूठा मुकदमा थाना एका पर लिखाया गया है तभी से मैं यहां छुपकर रह रहा हूं। मिथ्य साक्ष्य बनाकर झूठा अभियोग पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में पकड़े गये व्यक्ति भूपसिंह उपरोक्त के खिलाफ थाना एका पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण: पकड़े गये व्यक्ति भूपसिंह से पूछताछ की गयी तो बताया कि मेरे ही गॉव के भूपेन्द्र, अजय, दीनदयाल, अन्शुल, नीरज से मेरा जमीनी विवाद चल रहा है तथा कई बार मार–पीट भी हो चुकी है। मेरे विरोधियों द्वारा पूर्व में मेरे व मेरे भाईयों के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था जिसमें मैं व मेरे 02 भाई पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। जेल से छूटने के बाद मैं अपने विरोधियों को किसी भी तरह जेल भिजवाना चाहता था तभी मैंने अपने भाई नौबत व अपनी पत्नी चन्द्रवती के साथ मिलकर अपने अपहरण का नाटक किया तथा **मेरे द्वारा ट्यूबल से कबूतर लाकर उसकी गर्दन काटकर अपने सोने के स्थान पर चारपाई के आस–पास खून डाल दिया जिससे पुलिस घटना को सही समझे** और अपनी पत्नी को थाने भेजकर अपने विरोधियों के खिलाफ अपने अपहरण का झूठा मुकदमा लिखा दिया और मैं अपने भाई व रिश्तेदारों

के यहॉ जाकर स्थान बदल–बदल कर रहने लगा। छुपते–छुपते ज्यादा समय हो जाने के कारण मैंने ग्राम नगला सैय्या में नहर की पटरी के किनारे प्लॉट लेकर मकान बनाकर रहने लग गया जिससे कोई मुझे खोज ना सके किन्तु आज आपके द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः–

1. भूपसिंह पुत्र रामजीलाल, नि0–मोहनपुर, थाना–एका, जनपद–फिरोजाबाद।

वांछित अभियुक्तः–

1. नौबत पुत्र रामजीलाल, नि0–मोहनपुर, थाना–एका, जनपद–फिरोजाबाद।
2. चन्द्रवती पत्नी भूपसिंह, नि0–मोहनपुर, थाना–एका, जनपद–फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीमः–

1. थाना प्रभारी नरेन्द्र शर्मा, थाना–एका, जनपद–फिरोजाबाद।
2. प्रभारी सर्विलान्स विक्रान्त तौमर, जनपद–फिरोजाबाद।
3. व0उ0नि0 सोमिल राठी, थाना–एका, जनपद–फिरोजाबाद।
4. **सर्विलान्स टीमः–** **1.** मु0आ0 673 आशीष शुक्ला, 2. आरक्षी 1361 अमित उपाध्याय, **3**. आरक्षी 1337 मुकेश कुमार, 4. आरक्षी 821 अनिल गुप्ता, 5. आरक्षी 118 रघुराज सिंह।
5. **थाना–एकाः–**1. मु0आ0 200 अशोक कुमार, 2. आरक्षी 492 जितेन्द्र सिंह, 3. आरक्षी 1041 गोविन्द कुमार।